न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गडरारोड़ जिला बाड़मेर,

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार –।

राजस्व वाद सं. 64 / 2025

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. बबरी पुत्री सधु राम पत्नी गिरधारी राम, जाति–मेघवाल, नि0 बन्धडा हाल निवासी–ढगारी, तह0 गडरारोड़ जिला बाडमेर 2. केसर पुत्री सधुराम पत्नी पुनमा राम, जाति–मेघवाल, नि0 बन्धडा हाल निवासी–म्याजलार तह0 फतेहगढ़ जिला जैसलमेर		1. ना.बा. किकरा पुत्री श्रवण राम 2. ना.बा. दशरथ पुत्र श्रवण राम 3. ना.बा.धुडी पुत्री श्रवण राम 4. ना.बा.ललित पुत्र श्रवण राम 5. ना.बा. लिछमी पुत्री श्रवणराम प्रतिवादी संख्या 1 से 5 नाबालिग जरिये कुदरती वली माता हउआ 6. हउआ पत्नी श्रवण राम, जातियान –मेघवाल, नि0 बन्धडा तह0 गडरारोड़ 7. तहसीलदार गडरारोड़

उपस्थित :– 1. श्री भोपालसिंह भाटी अधिवक्ता वादीगण

राजस्व वाद 88, 188, 207, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांक :– 30/12/25

निर्णय

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण का पैतृक खातेदारी का खेत मौजा–बन्धडा, पटवार मण्डल–बन्धडा, तह0 गडरारोड़ के खेत खसरा नम्बर 584, 585 रकबा क्रमशः 7.6485, 2. 4281 हैक्टेयर के आए हुए है। यह खातेदारी के खेत वादीगण के दादा स्व. पतु के नाम वक्त सेटलमेन्ट खातेदारी में दर्ज हुए थे वंशवृक्ष अनुसार स्व. पतु राम के जायन्दा पुत्र सधु राम थे सधुराम के वारिशान स्व. भुरा राम व वादीगण बबरी व क़ेसर है। स्वं. सधु राम की फौतगी पर जब विरासत का नामान्तकरण संख्या 44 खोला गया जिसमें वादीगण का नाम उसके भाई राम ने दर्ज नहीं करवा कर केवल अकेले स्वंय के नाम नामान्तकरण खुलवा कर पारित करवाया। उसके पश्चात् भुरा राम के लाऔलाद फौत होने पर वादीगण के नाम नामान्तकरण संख्या 663 खोला गया जिसे ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरूद्व तरीके से खारिज किया गया उसके पश्चात् राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रतिवादीगण के पिता/पति स्वं. श्रवणराम से मिलीभगत कर श्रवण राम के नाम से नामान्तकरण संख्या 719 गोदनामा का हवाला देते हुए गलत रूप से स्वीकृत कर राजस्व रेकर्ड में श्रवण राम का नाम अमलदरामद किया गया जबकि स्व. भुरा राम के कोई गोद पुत्र नही था और न ही वादीगण के अलावा अन्य कोई विधिक वारिसान है इसलिए वादीगण द्वारा यह वाद खातेदारी घोषणा का पेश किया है। वादीगण के सगे भाई भुरा का देहान्त होने पर फौतगी नामान्तकरण वादीगण ने हल्का पटवारी से सम्पर्क कर वारिशान दस्तावेजात पेश कर नामान्तकरण 663 खुलवाया गया जिसे खारिज किया गया जो विधि विरूद्व तरीके व प्रतिवादीगण के पिता/पति श्रवण राम से मिलीभगत कर खारिज किया गया और प्रतिवादीगण के पिता/पति ने धोखाधडी फर्जीवाड़ा, राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर फर्जी गोदपुत्र बनते हुए नामान्तकरण संख्या 719 अपने के नाम से स्वीकृत करवा दिया जबकि श्रवणराम पुत्र काबल राम है जो कभी भी भुरा राम के गोद नही गया था। नामान्तकरण संख्या 719 खोलते समय तत्कालीन पटवारी ने भी स्वं. भुरा राम के सही विधिक वारिसान की जांच किये बिना उक्त नामान्तकरण खोल दिया। वादग्रस्त आराजी के संबंध में खोला गया नामान्तकरण संख्या 719 विधि विरूद्व होने से खारिज योग्य है। वादग्रस्त आराजी में

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.02.18 14:26:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर गडरारोड़

प्रतिवादीगण का कोई हक हिस्सा नही होने से प्रतिवादीगण का राजस्व रेकर्ड से हटाया जाकर आवगी भूमि वादीगण की खातेदारी में घोषित की जावें। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है।

वाद दर्ज रजिस्टर कर। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 को जरिये नोटिस रजिस्टर्ड डाक से तामील होने के बावजूद अनुपस्थित। अतः प्रतिवादी संख्या 1 से 06 के विरूद्व दिनांक 16.12.2025 को एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। वादीगण की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र पी0डब्लू–1 बबरी पुत्र सधुराम (पत्नी गिरधारी राम) स्वयं, पी0डब्लू–2 के रूप में केसर पुत्री सधु राम (पत्नी पुनमा राम) के ब्यान गवाह शपथ पत्र पेश किये। वादीगण ने वाद पत्र के समर्थन मे ई.एक्स पी – 1 से ई.एक्स पी –9 खतौनी बन्दोबस्त ग्राम बन्धडा तह0 शिव, ई.एक्स पी–10 जमाबन्दी से ई.एक्स पी–14, ई.एक्स पी–15 बबरी देवी का भामाशाह कार्ड, ई.एक्स पी–16 बबरी देवी का आधार कार्ड, ई.एक्स पी–17 केसर का भामाशाह कार्ड, ई.एक्स पी–18 केसर का आधार कार्ड पेश किये गये। अतः प्रतिवादी साक्ष्य बन्द की जाती हैं।

हमने वादीगण अधिवक्ता की बहस सुनी।

वादीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में वाद के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण का पैतृक खातेदारी का खेत मौजा–बन्धडा, पटवार मण्डल–बन्धडा, तह0 गडरारोड़ के खेत खसरा नम्बर 584, 585 रकबा कमशः 7.6485, 2.4281 हैक्टेयर के आए हुए है। यह खातेदारी के खेत वादीगण के दादा स्व. पतु के नाम वक्त सेटलमेन्ट खातेदारी में दर्ज हुए थे वंशवृक्ष अनुसार स्व. पतु राम के जायन्दा पुत्र सधु राम थे सधुराम के वारिशान स्व. भुरा राम व वादीगण बबरी व केसर है। स्वं. सधु राम की फौतगी पर जब विरासत का नामान्तकरण संख्या 44 खोला गया जिसमें वादीगण का नाम उसके भाई राम ने दर्ज नहीं करवा कर केवल अकेले स्वंय के नाम नामान्तकरण खुलवा कर पारित करवाया। उसके पश्चात् भुरा राम के लाऔलाद फौत होने पर वादीगण के नाम नामान्तकरण संख्या 663 खोला गया जिसे ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरूद्व तरीके से खारिज किया गया उसके पश्चात् राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रतिवादीगण के पिता/पति स्वं. श्रवणराम से मिलीभगत कर श्रवण राम के नाम से नामान्तकरण संख्या 719 गोदनामा का हवाला देते हुए गलत रूप से स्वीकृत कर राजस्व रेकर्ड में श्रवण राम का नाम अमलदरामद किया गया जबकि स्व. भुरा राम के कोई गोद पुत्र नही था और न ही वादीगण के अलावा अन्य कोई विधिक वारिसान है इसलिए वादीगण द्वारा यह वाद खातेदारी घोषणा का पेश किया है। वादीगण के सगे भाई भुरा का देहान्त होने पर फौतगी नामान्तकरण वादीगण ने हल्का पटवारी [illegible] कर वारिशान दस्तावेजात पेश कर नामान्तकरण संख्या 663 खुलवाया गया जिसे [illegible] किया गया जो विधि विरूद्व तरीके व प्रतिवादीगण के पिता/पति श्रवण राम से मिलीभगत कर [illegible] किया गया और प्रतिवादीगण के पिता/पति द्वारा धोखाधडी फर्जीवाडा राजस्व कर्मचारियों से [illegible]भगत कर फर्जी गोदपुत्र बनते हुए नामान्तकरण संख्या 719 अपने स्वंय के नाम से स्वीकृत करवा दिया जबकि श्रवणराम पुत्र काबल राम है जो कभी भी भुरा राम के गोद नही गया था। नामान्तकरण संख्या 719 खोलते समय तत्कालीन पटवारी ने भी स्वं. भुरा राम के सही विधिक वारिसान की जांच किये बिना उक्त नामान्तकरण खोल दिया। वादग्रस्त आराजी के संबंध में खोला गया नामान्तकरण संख्या 719 अपारस्त

सहायक कलक्टर गडरारोड

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.02.18 14:26:24 IST
Reason: SelfAttested

कर प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जाकर वादीगण को सम्पूर्ण आराजी का खातेदार घोषित किया जावें।

हमने वाद के तथ्यों पर वादीगण को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का गंम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी की खतोनी बन्दोबस्त के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक सम्पति की है। जो उन्हें स्व0 सधु राम के वंशज होने से विरासत मे प्राप्त हुई है। वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी भुमि होने से वादीगण का उक्त भूमि पर जन्मतः हक है। वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का प्रतिवादीगण के साथ वादग्रस्त भूमि में हक हिस्सा बराबर होने की पुष्टि होती है।

लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा –बन्धडा, पटवार मण्डल–बन्धडा, तह गडरारोड़ के खेत खसरा नम्बर 584, 585 रकबा कमशः 7.6485, 2.4281 हैक्टेयर भूमि में नामान्तकरण संख्या 719 अपास्त करते हुए प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जाकर सम्पूर्ण हिस्से मे से प्रत्येक वादीगण का 1/3–1/3 तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का 1/3 हिस्सा घोषित किया जाता है। तहसीलदार गडरारोड़ को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड मे अमलदरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार ड़िकी पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
गडरारोड़, जिला बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 30/12/2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
गडरारोड़, जिला बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.02.18 14:26:24 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता)
(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)
न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी गडरारोड़
(पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार–I)

राजस्व वाद सं. 64 / 2025

वादीगण	वनाम	प्रतिवादीगण
1. बबरी पुत्री सधु राम पत्नी गिरधारी राम, जाति–मेघवाल, नि0 बन्धडा हाल निवासी ढगारी तह0 गडरारोड़ जिला बाडमेर 2. केसर पुत्री सधु राम पत्नी पुनमा राम, जाति–मेघवाल, नि0 बन्धडा हाल निवासी म्याजलार तह0 फतेहगढ़ जिला जैसलमेर		1. ना.बा. किकरा पुत्री श्रवण राम 2. ना.बा. दशरथ पुत्र श्रवण राम 3. ना.बा. धुडी पुत्री श्रवण राम 4. ना.बा. ललित पुत्र श्रवण राम 5. ना.बा. लिछमी पुत्री श्रवण राम प्रतिवादी संख्या 1 से 5 नाबालिग जरिये कुदरती वली माता हउआ 6. हउआ पत्नी श्रवण राम जातियान्– मेघवाल, निवासीयान्– बन्धडा तह0 गडरारोड़ 7. तहसीलदार गडरारोड़

उपस्थित :– 1. श्री भोपालसिंह भाटी अधिवक्ता वादीगण

राजस्व वाद 88, 188, 207 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अन्तिम डिक्री

वादीगण को आज दिनांक 30.12.2025 को सहायक कलक्टर गडरारोड़ के समक्ष अन्तिम रूप से निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:–

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा –बन्धडा, पटवार मण्डल–बन्धडा, तह गडरारोड़ के खेत खसरा नम्बर 584, 585 रकबा क्रमशः 7.6485, 2.4281 हैक्टेयर भूमि में नामान्तकरण संख्या 719 अपास्त करते हुए प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जाकर सम्पूर्ण हिस्से मे से प्रत्येक वादीगण का 1/3–1/3 तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का 1/3 हिस्सा घोषित किया जाता है। तहसीलदार गडरारोड़ को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड मे अमलदरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।

यह डिक्री आज तारीख 30.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.02.18 14:26:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर गडरारोड़

(सुरेश कुमार–I)
सहायक कलक्टर
(SDO) गडरारोड़